अतिमहत्वपूर्ण/ई-मेल द्वारा

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
"वर्कचार्ज वर्ग"
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN,UTTARAKHAND
Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail- cepwdua@gmail.com

पत्रांक:- 290 /23का0प्र0-अधि0/20 दिनांक:- 16 .06.2020

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय/राष्ट्रीय राजमार्ग/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0
लो0नि0वि0, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।

विषय :- एस0एल0पी0 (सिविल) सं0- 4371/2011 प्रेम सिंह बनाम, उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के अनुपालन हेतु वर्कचार्ज कार्मिकों को पेंशन का लाभ अनुमन्य किये जाने के लिए वेतन निर्धारण/पेंशन की जांच तथा परीक्षण का कार्य अत्यन्त तत्परता/समयबद्धता के साथ सम्पादित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्र सं0- 203/23 का0प्र0-अधि0/20 दिनांक:- 27.05.2020

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा वर्कचार्ज कार्मिको के पेंशनरी लाभ हेतु दिशा-निर्देश जारी करते हुए पेंशन प्रकरणो की जॉच इस कार्यालय स्तर पर गठित समिति से निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त सम्बन्ध में रिव्यू पिटीशन सिविल अपील संख्या-6883/2019 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम रमेश सिंह में दिनांक-21.05.2020 को दिये गये आदेशानुसार मा0उच्चतम न्यायालय के द्वारा नयी टाईम लाइन के अनुसार समयवृद्धि अनुमन्य की गयी है जो कि उक्त अपील के एनैक्सर पी0-4 के अनुसार है। प्रस्नगत एनैक्सर पी0-4 पहले ही आपको इस कार्यालय के पत्र सं0-581/1878 वि0प्र0/2020 दिनांक-20.05.2020 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र सं0 287/23 का0प्र0-अधि0/2 0 दिनांक:-15.06.2020 के द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त समयवृद्वि के अनुसार सर्व प्रथम दिनांक-30.06.2020 तक ऐसे कार्मिकों को पेंशनरी लाभ दिया जाना है जिनके द्वारा अथवा जिनकी मृत्यु की दशा में उनके मृतकाश्रित द्वारा विभिन्न मा0 न्यायालयों में उक्त सम्बन्ध में वाद दायर किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक-27.05.2020 द्वारा पेंशन सम्बन्धी प्रकरणों की जांच प्रेक्षण हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय में वृत्तवार/खण्डवार समय सारणी का पुनर्निर्धारण निम्नवत किया जाता है:-

क0 सं0	वृत्त का नाम	अधीनस्थ खण्डों का विवरण	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में प्रकरणों की प्रेक्षण हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4
1	अधीक्षण अभियन्ता, 9वॉं वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।	(प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई खण्ड) देहरादून/सहिया/चकराता/ऋषिकेश	दिनांक- 18.06.2020
2	अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	(प्रान्तीय/निर्माण खण्ड) अल्मोड़ा/रानीखेत/बागेश्वर	दिनांक- 19.06.2020
	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।	(प्रान्तीय/अस्थाई खण्ड) पिथौरागढ़/बेरीनाग	दिनांक- 19.06.2020
	अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0, ऊधमसिंहनगर।	प्रान्तीय खण्ड, रूद्रपुर	दिनांक -19.06.2020
	अधीक्षण अभियन्ता, आठवॉं वृत्त, लो0नि0वि0,टिहरी	निर्माण खण्ड, नरेन्द्रनगर	दिनांक -19.06.2020
	अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ	दिनांक -19.06.2020

क्रमशः पेज-2पर

3	अधीक्षण अभियन्ता, 12वाँ वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी	(प्रान्तीय/निर्माण खण्ड) पौड़ी/लैन्सडौन/दुगड्डा/बैजरो	दिनांक –22.06.2020
	अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल	(प्रान्तीय/निर्माण /अस्थाई खण्ड) नैनीताल/भवाली	दिनांक –22.06.2020
4	अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, हरिद्वार	(प्रान्तीय/निर्माण खण्ड) हरिद्वार/रुड़की	दिनांक –23.06.2020
	अधीक्षण अभियन्ता, छठवां वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	(प्रान्तीय/निर्माण खण्ड) उत्तरकाशी/चिन्यालीसौड़	दिनांक –23.06.2020
	अधीक्षण अभियन्ता, 10वाँ रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून	रा0मा0 खण्ड, देहरादून /रा0मा0 खण्ड, रूद्रप्रयाग	दिनांक –23.06.2020
	अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0, वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी	ए0डी0बी0, नि0ख0,–2 देहरादून	दिनांक –23.06.2020

यदि कोई कार्यालय त्रुटिवश छूट गया हो तो उसके भिज्ञ अधिकारी उनके वृत्तीय कार्यालय को आवंटित तिथि को इस कार्यालय में पेंशन प्रकरण सहित उपस्थित होगें। केवल ऐसे पेंशनरी लाभ के प्रकरण प्रस्तुत किये जायेगें, जिनमें मा0 न्यायालयों में वाद योजित किये गये है।

अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार समयबद्व क्रियान्वयन अनुश्रवण तथा अधिशासी अभियन्ताओं के (आहरण एवं वितरण अधिकारी) एवं अधीनस्थ अनुपालन कार्यवाही हेतु अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ताओं को उपरोक्तानुसार संशोधित समयसारणी के अनुसार प्रभावी दिशा–निर्देश आज ही प्रदान करें तथा मुख्य अभियन्ता कार्यालय स्तर पर भी विषयगत प्रकरणों में समयबद्व कार्यवाही हेतु निरन्तर अनुश्रवण किया जाय।

(इं0 अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार निहित आदेशों तथा निर्धारित कार्यप्रक्रिया के अनुसार समुचित अनुपालन एवं समयबद्ध कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, को सूचनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर (अधिष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष , लो0नि0वि0, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ...वाँ, वृत्त लोक निर्माण विभाग.................................।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता (आहरण एवं वितरण अधिकारी), प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/वि0यॉ0/रा0मा0/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0,................................।
6. अधिशासी अभियन्ता, (अधिष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
7. आई0टी0 सैल कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र संलग्नक सहित आज ही विभागीय बेसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त कार्यालयों को ई–मेल भी करना सुनिश्चित करें।
8. समस्त प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान) /वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान)/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
9. सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।

16/6/20
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)
16.6.2020